

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:-F2(226)/DoIT&C/2022/Part-II/ 04783/2023

जयपुर, दिनांक: 26/10/2023

आदेश

राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 और स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 एवं प.15(88)FD/ Rules /2017 दिनांक 27.02.2022 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को सूचना सहायक के पद पर 09 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर, उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित दिनांक से सूचना सहायक के पद की प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल-10 में स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	मेरिट न.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग/कार्यालय	सूचना सहायक के पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	प्रथम ए.सी.पी. देय दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	1527	स्मिता मेहता	निःशुल्क जॉय योजना, मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोटा	17-10-2013	17-10-2022	-
2	2073	सुरेन्द्र कुमार नागर	कार्यालय तहसीलदार, राजस्व तहसील अटूरु, बारां	25-09-2013	25-09-2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
3	3964	सुषमा दहिया	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परिवहन एवं सड़क सुरक्षाविभाग, अलवर	25-09-2013	25-09-2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
4	2226	सूर्यदीप साई	कार्यालय निदेशक, लोक सेवाएं, श्रीगंगानगर	24-09-2013	24-09-2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
5	3763	ललित कुमार	कार्यालय उप श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, अलवर	25-09-2013	25-09-2022	-
6	3593	मोनिका सोनी	कार्यालय उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, सीकर	30-09-2013	30-09-2022	-
7	2018	मोहित यादव	कार्यालय उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, श्रीगंगानगर	27-09-2013 (मध्याह्न पश्चात)	28-09-2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
8	4099	रजनी वर्मा	कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जोधपुर	20-09-2013	20-09-2022	-
9	3737	राजेश कुमार सांवरिया	कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंहुण्डौन -स., करौली	11-11-2013	11-11-2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
10	3574	जितेन्द्र कुमार	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, श्रीकरणपुर, जिलाश्रीगंगानगर-	27-09-2013	27-09-2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
11	2018	मोहित यादव	कार्यालय उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, श्रीगंगानगर	27-09-2013	27-09-2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
12	2829	सुमन शरण	कार्यालय तहसीलदार, राजस्व तहसील धोद, सीकर	03-10-2013	02-11-2022 (परिवीक्षाकाल में 30 दिवस की अभिवृद्धि के कारण)	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
13	4091	रेखा कुमावत	कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन विभाग, सांगानेर, जयपुर	26.09.2013	26.09.2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
14	3526	रेनू पुत्री श्री सरदारा राम	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, राजस्व विभाग, उदयपुरवाटी, नीम का थाना	24.09.2013	24.09.2022	-

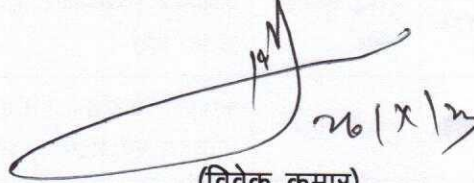
राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

* उपर्युक्त सारणी में क्र.सं 2-4,7,9-13 पर अंकित सूचना सहायकों के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त सभी सूचना सहायकों का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्त विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 एवं अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार किया जाकर प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार कार्मिक की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर भी यह सुनिश्चित किया जाये कि इन्हे:-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नहीं की गई है।
3. इनके विरुद्ध सी.सी.ए. 16/17 के तहत कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।
4. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक सीसीए नियमों के तहत किसी प्रकार के दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है।
5. गत सेवाकाल में वार्षिक वेतन वृद्धियां नियमित/निरन्तर मिल रही है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी-यूआईडी एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सम्बंधित सूचना सहायक।
5. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी